State Vs Pramod

Filing SUM No-1173/2022
Case No. SUM/310/2022
CNR MP-28070015262022
Ragistration Date-28-10-2022

—: निर्णय :—

(आज दिनांक—28—10—2022 को घोषित)

निष्कर्ष

अभियुक्त **प्रमोद पिता रामेश्वर वर्मा उम्र 27 वर्ष, निवासी गाम तेंदनी, थाना व तह0 अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा** की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा—34(1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है तथा प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को धारा—34(1) आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्धि पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 500/—मात्र के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा 15 पाव विदेशी शराब मूल्यहीन होने से अपीलीय अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में विधिवत् नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/—
(परमानंद सनोडिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अमरवाड़ा

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया ।

सही/—
(परमानंद सनोडिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अमरवाड़ा

PARMANAND SANODIYA

Digitally signed by PARMANAND SANODIYA
Date: 2022.10.28 17:12:41 +0530